EX-. 5.1 1 1 1,

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 1971/आषाढ़ 14, 1893
No. 366] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 1971 ASADHA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th July 1971

S.O. 2538.—Whereas the Central Government is of opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textile, manufactured in the industrial undertaking known as Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Co. Limited, Ahmedabad and Bombay, for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 16 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri H. Nanjundiah, Secretary to Government of Maharashtra, Urban Development and Public Health Department.

Members

2. Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation, New Delhi.

3. Shri M. Shivagnaman, Commissioner of Industries, Government of Gujarat, Ahmedabad.

4. Dr. P. V. Seshadri, Adviser (Technical), National Textile Corporation.

5. Shri R. C. Nigam, Deputy Director (Inspection), Company Law Board, Bombay.

Member-Secretary

6. Shri Dharam Dev, Director, Regional Office of the Textile Commissioner Bombay

[No. 9(16)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई 1971

का० आ० 2538.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अहमदाबाद जूपिटर स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्यू फैक्चरिंग क० लि०, अहमदाबाद एवं बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रमों में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1)	श्री एच० नजुमदिया, सचिव, महाराष्ट्र सरकार नगर विकास तथा लोक स्वास्थ्य विभाग ।	अध्यक्ष
(2)	श्री के० के० धर , प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।	सदस्य
(3)	श्री एम० शिवांगनमन, उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।	सदस्य
(4)	श्री पी० वी० शषाद्री, सलाहकार (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।	सदस्य

(5) श्री आर० सी० निगम, सदस्य
उप निदेशक (निरीक्षण),
समवाय विधि बोर्ड, बम्बई–1

(6) श्री ब्रह्म देव, सदस्य-सचिव
निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय
कार्यालय, बम्बई ।

[सं० एफ० 9(16) एल० आई० सी० पोल/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971